समाहरणालय, सहरसा।

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

अल्पकालीन निविदा

बाढ़ आपदा एवं अग्निकांड से निपटने एवं बचाव कार्य के लिये सहरसा जिले में पॉलीथीन सीट्स की आवश्यकता है। पॉलीथीन सीट्स क्रय हेतु DGS&D द्वारा निर्धारित दर पर आपूर्ति के लिए इच्छूक आपूर्तिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदादाताओं को मो0– 20,000 (बीस हजार) रुपये अग्रधन की राशि बैंक ड्रफ्ट के रुप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, सहरसा के नाम से विकलनीय होगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 07.5.2015 को अपराहन 2:00 बजे तक आपदा प्रबंधन प्रशाखा, सहरसा के कार्यालय में निबंधित डाक अथवा सीधे डाली जा सकती है। इसी दिन 4:00 बजे अपराहन में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

पॉलीथीन सीट्स का विवरण

क्र0 स0	आकार	आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का नाम	गुणवत्ता	दर
01	4mx5m	पॉलीथीन सीट्स	Low density Polyethele फिल्म ग्रेड–030 मोटाई–250 Micron (ISI) Black sheets	DGS&D निर्धारित दर के अनुरुप (सभी कर, अधिभार, शुल्क, परिवहन व्यय सहित।

निविदा की आवश्यक शर्ते:–

1. आपूर्तिकर्त्ता को पॉलीथीन सीट्स की आपूर्ति उपर दिए गए विवरण के आलोक में DGS&D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरुप करनी होगी।
2. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर/TIN नम्बर/ अद्यतन आयकर भुगतान संबंध प्रमाण–पत्र/ अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति/काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ–पत्र मूल में संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
4. तकनीकी निविदा में सफल निविदाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. आपूरित पॉलीथीन सीटस DGS&D द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा ततसंबंधी सत्यापन प्रमाणपत्रं अलग से आपूर्तिकर्त्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लेने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
7. निर्धारित तिथिएवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
9. आपूर्तिकर्त्ता को ओदशित सामग्री (निर्दिष्टि गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्ति आदेश के निर्गत होने के 15 (पन्द्रह) दिनांक के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, सहरसा (समाहरणालय, सहरसा) में करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। साथ हीं दण्ड राशि (Penalty) की भी कटौति की जायेगी।
10. आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम अथवा अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।
11. आपूर्ति सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैद्यानिक कटौतियों के उपसंत लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
12. निविदा संबंधी कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, सहरसा के अधीन होगा। विशेष जानकारी आपदा प्रबंधन प्रशाखा, सहरसा जिला से अथवा वेबसाईट Saharsa.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

26.4.2015

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

प्रभारी पदाधिकारी
जि0 आ0 प्र0 सहरसा
26/4/15